न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./82/2019/बाड़मेर

अपीलांट

1. श्रीमती शांती पत्नी स्व.बद्रीप्रसाद
2. प्रेमसुख पुत्र बद्रीप्रसाद
3. पुष्पादेवी पत्नी स्व. वासुदेव
4. मुकेश कुमार पुत्र वासुदेव
5. जितेन्द्र कुमार पुत्र वासुदेव
   जाति सुनार निवासी वार्ड संख्या 13 बालोतरा तहसील जसोल जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. अमृतलाल पुत्र स्व. रामदयाल जाति सुनार निवासी वार्ड संख्या 13 बालोतरा तहसील जसोल जिला बाड़मेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जसोल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2009 बअनवान बद्रीप्रसाद बनाम अमृतलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री धर्मेन्द्रसिंह ब्रीफ हॉल्डर अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जेठाराम सिंहल रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.08.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण के पिता बद्रीप्रसाद ने अधीनस्थ न्यायालय में सन् 2009 में इस आशय का घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया कि ग्राम खेड़ के खेत खसरा संख्या 305/776 रकबा 20 बीघा और ग्राम जसोल के खसरा संख्या 1448/466 रकबा 18.14 बीघा दोनों गांवो की कुल भूमि 38.14 बीघा भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि आई हुई है जिसमें रामदयाल के पहले पुत्र बद्रीप्रसाद का 1/2 हिस्सा और दुसरे पुत्र उतरदाता संख्या 01 अमृतलाल का 1/2 हिस्सो खातेदारी में घोषित किया जावें इस आशय का पेश किया। उपरोक्त जबाव दावे को अस्वीकार करते हुए उतरदाता संख्या 01 ने काउन्टर क्लेम पेश किया कि ग्राम जसोल के खसरा संख्या 1448/466 रकबा 18.14 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 01 अकेले की खातेदारी की घोषित की जावे। अपीलांटगण द्वारा अपनी अपील में बताया गया कि वादग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार पैतृक भूमि नहीं मानने में भी मातहत अदालत द्वारा भूल की गई। राजस्थान सरकार द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटन करने के नियम बनाये गये है वह नियम भूमिहीन काश्तकारों व उनके परिवारों के फायदे के लिए बनाये गये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादग्रस्त भूमि अपीलांटगण के दादा रामदयाल को राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं के व उसके परिवार के भरण–पोषण एवं उसके लाभ के लिए आवंटन की गई थी और उक्त भूमि आवंटन करते समय रामदयाल ने प्रतिफल की कोई राशि अदा नहीं की थी और न ही कोई भूमि खरीद की थी, बल्कि राज्य सरकार द्वारा निशुल्क आवंटन की गई थी। ऐसी भूमि रामदयाल के परिवार की संयुक्त भूमि मानी जायेगी, जिस समय भूमि आवंटन की गई थी उस समय रामदयालय के पुत्र बद्रीप्रसाद व अमृतलाल दोनों नाबालिग थे। ईकरारनामा दिनांक 10.12.1976 अपंजीयकृत व अप्राप्त स्टाम्प पर लिखा गया है। कोई भी अचल सम्पति 100 रू से अधिक हो तो धारा 54 टी.पी. एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। ईकरारनामे के आधार पर कोई राईट हक पैदा नहीं होते है और न ही ऐसा ईकरारनामा साक्ष्य में ग्राहय होता है। उक्त ईकरारनामे पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर नहीं है। केवल एक पक्ष के हस्ताक्षर बताये गये है वो भी फर्जी है। उक्त कानूनी बिन्दु को ध्यान में रखे अपीलाधीन आलोच्य आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम खेड़ के खेत खसरा संख्या 305/776 रकबा 20 बीघा और ग्राम जसोल के खसरा संख्या 1448/466 रकबा 18.14 बीघा दोनों गांवो की कुल भूमि 38.14 बीघा भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि आई हुई है जिसमें रामदयाल के पहले पुत्र बद्रीप्रसाद का 1/2 हिस्सा और दुसरे पुत्र उतरदाता संख्या 01 अमृतलाल का 1/2 हिस्सो खातेदारी में घोषित किया जावें इस आशय का पेश किया। उपरोक्त जवाव दावे को अस्वीकार करते हुए उतरदाता संख्या 01 ने काउन्टर क्लेम पेश किया कि ग्राम जसोल के खसरा संख्या 1448/466 रकबा 18.14 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 01 अकेले की खातेदारी की घोषित की जावे। अपीलांट द्वारा अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार पैतृक भूमि नहीं मानने में भी मातहत अदालत द्वारा भूल की गई। राजस्थान सरकार द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटन करने के नियम बनाये गये है वह नियम भूमिहीन काश्तकारों व उनके परिवारों के फायदे के लिए बनाये गये है। वादग्रस्त भूमि अपीलांटगण के दादा रामदयाल को राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं के व उसके परिवार के भरण–पोषण एवं उसके लाभ के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिए आवंटन की गई थी और उक्त भूमि आवंटन करते समय रामदयाल ने प्रतिफल की कोई राशि अदा नहीं की थी और न ही कोई भूमि खरीद की थी, बल्कि राज्य सरकार द्वारा निशुल्क आवंटन की गई थी। ऐसी भूमि रामदयाल के परिवार की संयुक्त भूमि मानी जायेगी, जिस समय भूमि आवंटन की गई थी उस समय रामदयालय के पुत्र बद्रीप्रसाद व अमृतलाल दोनों नाबालिग थे। ईकरारनामा दिनांक 10.12.1976 अपंजीयकृत व अप्राप्त स्टाम्प पर लिखा गया है। कोई भी अचल सम्पति 100 रू से अधिक हो तो धारा 54 टी.पी. एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। ईकरारनामे के आधार पर कोई राईट हक पैदा नहीं होते है और न ही ऐसा ईकरारनामा साक्ष्य में ग्राहय होता है। उक्त ईकरारनामे पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर नहीं है। केवल एक पक्ष के हस्ताक्षर बताये गये है वो भी फर्जी है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पारित की गई। अपीलाधीन आराजी रामदयाल को आवंटित हुई जिस पर वादी का कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कब्जा नहीं था क्योकि वादी वर्ष 1977 से कई वर्ष पूर्व ही जुदा हो चुका था एवं जुदा रूप से ही अपना रहवास करता था एवं नारनाड़ी कॉपरेटिव सोसायटी में नौकरी करता था। राजस्व अधिकारियों द्वारा वर्ष 1997 में रामदयालजी की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 व उसकी पत्नी सुशीलादेवी के हक में निष्पादित वसीयत के आधार पर ही खातेदारी अधिकारी दिये गये थे। वादी को यह बखूबी इल्म व जानकारी में था कि श्री रामदयालजी के द्वारा वसीयतनामा प्रतिवादी संख्या 01 के हक में तकमील किया हुआ है एवं वादी स्वयं पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं। जिसे सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते हुए गलत तरीके से हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधान आदेश उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष द्वारा पेश साक्ष्य एवं साक्ष्य के अनुसार तनकीयात कायम कर तनकी वार निर्णय पारित किया गया। अपीलांटगण अपना वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित करने में असफल रहे है। **अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावष्यक चुनौती देने की मंषा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2009 बअनवान बद्रीप्रसाद बनाम अमृतलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेष आज दिनांक 03.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर